न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
66 / 2019 / वाद पत्र	22.10.2019	13.09.2023

उनवान

सत्यनारायण उर्फ गोमा पुत्र उगमा गाडरी निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा
–वादी

बनाम

1. देउ पुत्री जीवण गाडरी निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88–89 रा0टि0एक्ट

उपस्थितः– श्री शोभागमल कुमावत :– अभिभाषक – वादी

<u>निर्णय</u>

उनवानी मामले में वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – यह है कि सरहद सूरजपुरा पटवार हल्का बिलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा में आराजी नम्बर 324 रकबा 0.2400 है., 325 रकबा 0.22 है., 329 रकबा 0.14 है., 330 रकबा 0.10 है., 337 रकबा 0.14 है., 338 रकबा 0.08 है., 339 रकबा 0.32 है., 340 रकबा 0.27 है., 341 रकबा 0.04 है., 350 / 698 रकबा 0.15 है., 552 रकबा 0.04 है., 555 रकबा 0.47 है., 327 रकबा 0.02 है. , 328 रकबा 0.02 है., 36 रकबा 0.51 है., 550 रकबा 0.05 है. स्थित है। वाद पत्र के चरण सं. 01 में वर्णित उक्त आराजियात पर वादी व प्रतिवादी सं. 01 व अन्य खातेदारान अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी का नाम आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में सत्यनारायण पुत्र उगमा गाडरी दर्ज है। प्रतिवादी सं. 01 वादी के बड़े पिता जीवण की पुत्री होकर चचेरी बहन है। इसके अलावा अन्य खातेदारान परिवार के नहीं है। वादी दिनांक 12.09.2019 को राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की तो पता चला कि वाद पत्र की चरण सं. 01 में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सत्यनारायण गाडरी के बजाय बोलता नाम गोमा अंकित कर दिया है। जबकि वादी का सभी दस्तावेजात में सत्यनारायण गाडरी नाम दर्ज है। सत्यनारायण गाडरी पुत्र उगमा गाडरी व गोमा पुत्र उगमा गाडरी दोनो एक ही व्यक्ति है। जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वादी प्रतिवादी सं. 02 के समक्ष कई बार उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी सं. 02 दुरूस्त करने से साफ तौर पर इंकार हो गया व प्रतिवादी द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी, जिससे यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वाद पत्र पेश किया गया है। राजस्व रेकार्ड में वादी

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

का नाम सत्यनारायण के बजाय गोमा दर्ज होने से वादी के वैध हक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस कारण से वाद पत्र के चरण सं. 01 में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गोमा पुत्र उगमा गाडरी के बजाय सत्यनारायण पुत्र उगमा गाडरी दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 01 वादी की चचेरी बहन होकर सहखातेदार है, इस कारण उन्हें बतौर पक्षकार प्रतिवादी संयोजित किया गया है, जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है व अन्य खातेदारान के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहने व हक हिस्सा प्रभावित नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद पत्र के चरण सं. 01 में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गोमा पुत्र उगमा गाडरी के बजाय सत्यनारायण पुत्र उगमा गाडरी दुरूस्त कराया जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जावे, उक्त नाम से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.19.2019 को प्रतिवादी सं. 01 स्वयं उपस्थित हो वाद स्वीकार किये जाने हेतु मौखिक निवेदन किया। दिनांक 14.09.2023 को प्रकरण जवाब दावा पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 20.12.2022 को पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब द्वारा रेकार्ड पर लिया गया। एवं दिनांक 23.08.2023 को पेरोकार सरकार के जवाब दावा की नकल अभिभाषक वादी को उपलब्ध करवाई गयी। दिनांक 06.09. 2023 को अभिभाषक वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये स्वयं के शपथ पत्र एवं शंभुलाल पुत्र लक्ष्मण कुमावत तथा लादु लाल दास पुत्र रामेश्वर दास वैष्णव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को रेकार्ड पर लिया गया। दिनांक 06.09.2023 को वादी सत्यनारायण स्वयं द्वारा पुनः स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं 50/— रूपये के नोन ज्युडीशियल स्टाम्प पर भी वादी द्वारा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। अभिभाषक वादी द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया। जिससे बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी। प्रकरण वास्ते आदेश के नियत किया गया। बहस में अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का राजस्व रेकार्ड में नाम गोमा पुत्र उगमा गाडरी दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम सत्यनारायण पुत्र उगमा गाडरी होकर अन्य सभी दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में एवं अन्य दस्तावेजात में अलग अलग दर्ज होने से वादी बैंक से के0सी0सी0 एवं अन्य कृषि लाभ, एवं कृषि संबंधी योजनाओं को लाभ नहीं ले पा रहा है। जबकि गोमा एवं सत्यनारायण दोनों एक ही व्यक्ति होकर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वाद पत्र के साथ संलग्न है। साक्ष्य के रूप में वादी के मकान के पड़ौसी लादु लाल दास वैष्णव एवं वादी के गावं के निवासी शंभुलाल कुमावत के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये है। वादी स्वयं द्वारा 50/— रूपये के नोन ज्युडीशियल स्टाम्प पर भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः श्रीमान के निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड वाद पत्र के पैरा सं. 01 में दर्ज आराजियात में वादी का नाम गोमा पिता उगमा गाडरी के स्थान पर सत्यनारायण पिता उगमा गाडरी दर्ज कराने की कृपा करावें।

बहस मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड को देखा एवं अन्य दस्तावेज को देखा। राजस्व रेकार्ड में गोमा पुत्र उगमा गाडरी नाम दर्ज रेकार्ड है। एवं वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में सत्यनारायण पुत्र उगमा लाल गाडरी दर्ज है। गोमा एवं सत्यनारायण एक ही व्यक्ति होने के संबंध में ग्राम पंचायत बिलिया द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है साथ ही जिला परिषद सदस्य भीलवाड़ा द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि गोमा एवं सत्यनारायण एक ही व्यक्ति है। गोमा एवं सत्यनारायण एक ही व्यक्ति है इस संबध में ग्राम के ही व्यक्ति शंभुलाल

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

कुमावत एवं वादी के पड़ौसी लादु लाल दास द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। वादी स्वयं द्वारा भी शपथ पत्र एवं 50/— रूपये के नोन ज्युडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गोमा मेरा बोलता नाम है एवं ज्यादातर गोमा नाम से ही जाना जाता है। सत्यनारायण मेरा ही नाम है। राजस्व रेकार्ड में बोलता नाम दर्ज करा दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद सदस्य द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य के रूप में शपथ पत्रों के आधार पर एवं प्रकरण में सहानूभूतिपूर्वक विचार करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादगण के स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का बिलीया तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 324 रकबा 0.2400 है., 325 रकबा 0.22 है., 329 रकबा 0.14 है., 330 रकबा 0.10 है., 337 रकबा 0.14 है., 338 रकबा 0.08 है., 339 रकबा 0.32 है., 340 रकबा 0.27 है., 341 रकबा 0.04 है., 350/698 रकबा 0.15 है., 552 रकबा 0.04 है., 555 रकबा 0.47 है., 327 रकबा 0.02 है. , 328 रकबा 0.02 है., 36 रकबा 0.51 है., 550 रकबा 0.05 है. में दर्ज खातेदार/सहखातेदार गोमा पुत्र उगमा गाडरी के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र उगमा गाडरी राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

सत्यनाारायण उर्फ गोमा पुत्र उगमा गाडरी निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा

–वादी

बनाम

1. देउ पुत्री जीवण गाडरी निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88–89 रा0टि0एक्ट

मुकदमा नम्बर 66 सन् 2019 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का बिलीया तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 324 रकबा 0.2400 है., 325 रकबा 0.22 है., 329 रकबा 0.14 है., 330 रकबा 0.10 है., 337 रकबा 0.14 है., 338 रकबा 0.08 है., 339 रकबा 0.32 है., 340 रकबा 0.27 है., 341 रकबा 0.04 है., 350/698 रकबा 0.15 है., 552 रकबा 0.04 है., 555 रकबा 0.47 है., 327 रकबा 0.02 है., 328 रकबा 0.02 है., 36 रकबा 0.51 है., 550 रकबा 0.05 है. में दर्ज खातेदार/सहखातेदार गोमा पुत्र उगमा गाडरी के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र उगमा गाडरी राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 13 माह 09 सन् 2023** को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा